



STATE CONSUMER HELPLINE KNOWLEDGE RESOURCE MANAGEMENT PORTAL

Centre for Consumer Studies, Indian Institute of Public Administration, New Delhi
Sponsored by Department of Consumer Affairs, Govt. of India



आधार- क्यों और कैसे

आधार क्या हैं?

आधार एक भारतीय विशिष्ट पहचान नंबर है, जो की UIDAI द्वारा जारी किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है हर भारतीय को अपनी एक विशिष्ट पहचान देना। आधार 12 अंको का एक नंबर है जो की हर नागरिक को अलग अलग दिया जायेगा। आधार, सभी उम्र के लोगो के लिये है (बच्चो के लिये भी)। इसका मुख्य उद्देश्य है सब को एक पहचान देना। आधार के लिये व्यक्ति के निवास की जानकारी तथा उसकी जानकारी (तस्वीर, आईरिस स्केन, उंगलियों के निशान) एकत्र किया जाता है, जो की एक डाटाबेस में जमा कर लिया जाता है। आधार नंबर हमेशा के लिये मान्य है, इसे समय समय पर बदलने की जरूरत नहीं है।

आधार क्यों जरूरी हैं?

- आधार नंबर के जरिये आप बैंक में अपना खाता आसानी से खुलवा सकते हैं।
- सरकारी सुविधाओ के लिये आधार नंबर आवश्यक है।
- आधार नंबर का इस्तेमाल पहचान पत्र, पासपोर्ट, लाइसेन्स, नया मोबाइल कनेक्शन, नया गैस कनेक्शन इत्यादि बनाने के लिये भी किया जा सकता है।
- केश ट्रान्सफर सब्सिडी (cash transfer subsidy) में भी इसे आवश्यक दस्तावेज माना है।
- रेल व हवाई यात्री को आधार पहचान पत्र के रूप में प्रयोग कर सकते हैं।
- जमीन-जायदाद के रेजिस्ट्रेशन के लिये भी इसे जरूरी कर दिया गया हैं।
- नवजात शिशु का भी आधार कार्ड बन सकता हैं। नवजात शिशु के मामले मे बाइयमिटीककी जरूरत 5 साल की उम्र के बाद पड़ती हैं।
- इसके जरिये वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी आसन हो जायेगी।



आधार के लिये क्या करें?

आधार नंबर पाने के लिये आप को आधार केन्द्र से एक फॉर्म लेकर भरना होगा। यह फॉर्म निशुल्क प्राप्त होगा, फॉर्म को भरने के बाद उसके साथ आप को कोई भी आयु, जन्म-तारीख साबित करने वाले किसी दस्तावेज जैसे की राशन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, पेन-कार्ड, इत्यादि में से किसी एक की फोटो कोपी लेकर आधार केन्द्र मे जाना होगा। वहाँ उसे जमा करना होगा। वही आपकी बाइयमिटीक जानकारी ले ली जायेगी। आधार नंबर 60-90 दिन के अंदर डाक द्वारा आप को मिल जाना चाहिये।

कैसे चेक करे आधार का स्टेटस

आप दिये गये लिंक पर जा कर अपना आधार स्टेटस जान सकते हैं:-

<http://uidai.gov.in/check-your-aadhaar-status.html>

<http://services.ptcmysore.gov.in/Speednettracking/Track/UIDTrack.aspx>

यहाँ पर आप को आपने स्लीप से 14 अंको की सांख्या डालनी होगी तथा उसी के साथ आप को वो तारीख व समय डालना होगा जब आप ने अपना Registration कराया था। जैसा की आप को नीचे दिखाया जा रहा हैं:

कहाँ शिकायत करें?

कोई भी नागरिक जो नामांकन कराता है, को नामांकन संख्या के साथ एक मुद्रित पावती फार्म (Printed Acknowledgement Form) दिया जाता है, जिसके द्वारा नागरिक संपर्क केन्द्र पर किसी भी संचार माध्यम का उपयोग कर अपने नामांकन की स्थिति के बारे में पूछताछ कर सकता है।

Enter the Enrolment Number:	<input type="text"/>	(1234/12345/12345)
Enter the Enrolment Date	<input type="text"/>	(dd/mm/yyyy hh:mm:ss)

Toll Free Number- 1800-180-1947

Fax- 080- 2353 1947

Address- PO Box 1947, GPO Bangalore - 560001

Email - help@uidai.gov.in

STATE CONSUMER HELPLINES

GUJARAT 1800-233-0222, 079-27489945 / 46

BIHAR 1800 -345- 6188

MADHYA PRADESH 155343, 0755-2559778

RAJASTHAN 1800 -180- 6030

MAHARASHTRA 1800 -22- 22 62

ORISSA 1800-345-6724, 1800-345-6760,

TAMIL NADU 044-28592828

0674-2351990, 0674-2350209

BIHAR 1800 -345- 6188

Email - schkrmp.iipa@gmail.com , Website - www.consumereducation.in, www.consumeradvice.in